न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

राज्य बनाम राम स्वरूप

दिनांक–14.10.2022

अभियुक्त राम स्वरूप की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०स० – 171/2022, अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 504, 506, 377 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना–नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय है। अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राम स्वरूप द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।